

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी: संजय कुमार गौर आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या: 02/2021
चायर दिनांक: 29.01.2021
निर्णय दिनांक: 04.07.2022

उनवान

रामफूल पुत्र प्रभू जाति मीना निवासी ग्राम सीतापुरा हालवासी जिरौताकलां तह0 व जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. लाडा बेवा प्रभू जाति मीना निवासी ग्राम सीतापुरा हालवासी जिरौताकलां तह0 व जिला दौसा।
2. बाबूलाल पुत्र प्रभू जाति मीना निवासी ग्राम सीतापुरा हालवासी जिरौताकलां तह0 व जिला दौसा।
3. राधाकिशन पुत्र प्रभू जाति मीना निवासी ग्राम सीतापुरा हालवासी जिरौताकलां तह. व जिला दौसा।
4. मूलचन्द पुत्र प्रभू जाति मीना निवासी ग्राम सीतापुरा हालवासी जिरौताकलां तह0 व जिला दौसा।
5. ग्राम पंचायत चावण्डेडा पंचायत समिति दौसा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चावण्डेडा।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 31.05.2000 बाबत नामान्तरकरण संख्या 49 ग्राम सीतापुरा
ग्राम पंचायत चावण्डेडा पंचायत समिति दौसा।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से नामान्तरकरण संख्या 49 ग्राम सीतापुरा_निर्णय दिनांक 31.05.2000 ग्राम पंचायत चावण्डेडा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी भूमि ग्राम सीतापुरा में खसरा नम्बर 161 से 165, 188 से 193 रकबा 2.79 है0 हिस्सा 1/2 रहा है। अपीलान्ट का पिता प्रभू अब से करीब 35 वर्ष पूर्व फोत हो गया था। नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 31.05.2000 मृतक खातेदार प्रभू पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी सीतापुरा के स्थान पर मृतक के वारिसान उसकी विधवा व पुत्रान के हक में नामान्तरकरण किया गया। उस नामान्तरकरण को भरते समय वारिसान का कोई शजरा नहीं बनाया गया, ना ही किसी की जांच की गई। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम रामफूल होते हुए भी गलत नाम निराधार फैलीराम बताकर नामान्तरकरण भर दिया गया। गिरदावर हल्का द्वारा भी कोई जांच तुलना नहीं की। साथ ही पंचायत सरपंच नन्दाराम द्वारा नामान्तरकरण को गलत तस्दीक कर दिया गया। अपीलान्ट का नाम कभी भी फैलीराम नहीं रहा, ना ही कोई लाड प्या... नाम रहा। अपीलान्ट जयपुर पढता था व पढते हुए ही नौकरी लग गई, बाहर नौकरी...

लगातार....2.

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

(2)

करता रहा। अब के.सी.सी. लेने हेतु पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी दिनांक 31.12.2020 को लेने गया तब अशुद्ध नामान्तरकरण की जानकारी आई। तत्पश्चात् नकल नामान्तरकरण प्राप्त कर अपील जानकारी से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 31.05.2000 को खारिज कर रिमाण्ड तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ किया जावे कि अपीलान्त की समुचित सुनवाई कर बाद जांच पुनः नामान्तरकरण बहक अपीलान्त तस्दीक किया जावे।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 01 लगा. 05 की तामील हो चुकी है। प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलान्त की ओर से अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 31.05.2000 को खारिज कर रिमाण्ड करने का अनुरोध किया। रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 01 लगा. 04 की ओर से श्री रामावतार बैरवा अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि अपीलान्त का नाम कभी भी फैलीराम नहीं रहा। अपीलान्त का सही नाम रामफूल होना बताया तथा नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 31.05.2000 ग्राम सीतापुरा को रिमाण्ड किये जाने हेतु सहमति दी।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। अपीलान्त की ओर से ग्राम सीतापुरा में पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 161 से 165, 188 से 193 रकबा 2.79 है० हिस्सा 1/2 बताई गई है, किन्तु अपीलान्त की ओर से ग्राम सीतापुरा में ख० नं० 161 उनकी पैतृक खातेदारी भूमि होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। नामान्तरकरण में अपीलान्त का नाम गलत अंकित होने के कारण उसको सही रूप में दर्ज करने में रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से सहमति दी गई है। अतः नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 31.05.2000 ग्राम सीतापुरा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 31.05.2000 ग्राम सीतापुरा को निरस्त किया जाकर इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तरकरण वापस लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया था मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

(स.ग.)